

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं०-०२/२०१२ १३३

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० कौ० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १७-१०-१२

विषय :— मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—७४—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट—२ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	8
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य	७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/७४—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180796740545	42.8715


आवंटित राशि — ₹ बेयालीस लाख सतासी हजार एक सौ पचास मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट—२, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुबोध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विषेष सचिव  


7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।  
अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

133

रॉची, दिनांक :- 17-10-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो.- हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

133

रॉची, दिनांक :- 17-10-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं III जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

1.1.4.  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

69  
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि.)

सुबोध  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

M  
(बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)  
विशेष सचिव  
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 133 दिनांक 17-10-12 का अनुलग्नक

परिषिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जनन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,


शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49P470180796740545


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र।


(राशि लाख ₹ में)


क्र.	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2012	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	अस्युकृति		
			योजना का नाम	राशि	प्रसंग	तक का व्यय	पूर्व का वर्तमान	आवंटन	राशि
1	2	3	4	5	6				
1	जलपथ प्रमङ्गल, चाईबासा	रांची सोनुआ जलाशय	8265.00	41 / 06-07 प्र०स्त्री० दिनांक-23.03.07	7597.58	95.7800 42.8715 138.6515	95.7800 42.8715 138.6515	आवंटित राशि परिषिष्ट -2, में वर्णित कार्य हेतु	राशि
						राशि	95.7800 42.8715 138.6515		


आवंटित राशि - ₹ बेयालीस लाख सतासी हजार एक सौ पचास मात्र।

  
(ज्योति प्रकाश भट्टाचार्य)  
सहायक अभियंता

  
(ज्योति प्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभिः)

  
(सुबोध कुमार सिन्धु)  
संयुक्त सचिव (अभिः)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

  
(एस० कें शतपथी)  
प्रधान सचिव

पत्रांक : ..... २३

(लाख रु में)

प्रां.	प्रमाणित का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण				एकरणरनामा सं०/तिथि	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवंटित राशि	अनुक्रित
			कार्य का विवरण	सं०	तिथि	पूर्व का आवंटन					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	
			'A' Preliminary			0.50	0.0000	0.5000			
			'B' land			0.00	42.8715	42.8715	वर्तमान आवंटन भू-अर्जन भुगतान हेतु।		
			Left Main Canal with Structures								
			Const. Of C.D. at ch. 258.50 and SLR Bridge at ch. 247.00.		F2 02/2004-05	2.33	0.0000	2.3300			
			Const. of Escape at ch. 304.50/305. of sonua left main canal.		F2-3/2008-09	0.84	0.0000	0.8400			
			Const. of foot bridge at ch. 24.60, 38, 208 different chain		F2-03/2010-11	4.73	0.0000	4.7300			
			Repair of canal banks & gap filling of sonua left main canal from ch 0.00 to 300.00.		F2 01/2011-12	1.85	0.0000	1.8500			
			Residual work of cd. at ch 229.		F2 02/11-12	5.53	0.0000	5.5300			
			"U" Minor (Dist. System)								
1	जलपथ प्रमाणित, चाईबासा	सोनुआ जलाशय योजना	Arjunpur Dist., Remaining Earth work		F2 05/09-10	10.00	0.0000	10.0000			
			Const. of fall at different ch.2.0, 3.5, 10.0, 13.0, 20.0, 23.0 and SLR Bridge at ch. 32.0, 57.00, 60.00, & 70.00 of Sonua Distributory.		F2 06/03-04	15.00	0.0000	15.0000			
			Const. Of C.D at ch.17, 29, 44, 88 & 117 and Fall at ch. 33 & 98, SLR Bridge at ch. 130.00 of Sonua Dist.		F2 21/03-04	10.00	0.0000	10.0000			
			Const. of CR cum HR at ch. 160.50 of Sonua L.M.C and E/W of Sonua Dist. From ch. 0 to 136		F2 07/03-04	10.00	0.0000	10.0000			
			Const. of Khudaburu Minor		F2 09/08-09	2.00	0.0000	2.0000			
			Const. Lonjo Minor		F2 02/09-10	8.00	0.0000	8.0000			
			Const. Lonjo sub dist.		F2 13/07-08	10.00	0.0000	10.0000			
			Const. of Kulundu Minor		F2 12/08-09	5.00	0.0000	5.0000			
			R/M of Inspection Vehicles (2 Nos)			2.00	0.0000	2.0000			
			Cons. Of I.B at chaibasa.		F2 08/08-09	8.00	0.0000	8.0000			
			योग्य			95.78	42.8715	138.6515			
			आवंटित राशि – ₹ बेयालीस लाख सतारी हजार एक सौ पचास मात्र।								

(सुरेश प्रसाद भट्टाचार्य)

सहायक अधिकारी

(गोपाल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अधिकारी)

(बी. एस. निगम)

प्रधान सचिव

(बी. एस. निगम)

प्रधान सचिव